



# प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक: पी०आर०एस०यू०/सम्ब० (प्र०स०)/र.न. 240/2022

दिनांक : 7 / 5 / 2022

सेवा में,

प्रबन्धक (प्रबन्ध समिति),  
माँ गायत्री महाविद्यालय,  
मवैया रोड, नैनी, प्रयागराज, उ०प्र०।


विषय:—प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 18.04.2022 के संदर्भ में सूचित करना है कि माँ गायत्री महाविद्यालय, मवैया रोड, नैनी, प्रयागराज, उ०प्र० की दिनांक— 15.06.2021 को निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों वाली गठित एवं चयनित प्रबन्ध समिति को माननीय कुलपति जी ने परिनियमावली 13.05 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अधीन दिनांक: 04.05.2022 से दिनांक: 14.06.2024 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद
01	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव	पुत्र— श्री नारायणी प्रसाद श्रीवास्तव	अध्यक्ष
02	श्री परमात्मानन्द श्रीवास्तव	पुत्र— श्री राधाकृष्ण लाल श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष
03	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	पुत्र— श्री उमेद चन्द श्रीवास्तव	प्रबन्धक
04	श्री शौकत अली खान	पुत्र— श्री अजीज खान	उपप्रबन्धक
05	श्री हिमांशु	पुत्र— श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	कोषाध्यक्ष
06	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव	पुत्र— श्री हृदय नाथ श्रीवास्तव	निरीक्षक
07	श्री अरविन्द कुमार सिंह	पुत्र— श्री राम पूजन सिंह	मुख्य सलाहकार
08	श्रीमती रीता सरकार	पत्नी— श्री शौभिक सरकार पुत्री— श्री एस०एन० दास	सलाहकार
09	श्री अरुणजीत खरे	पुत्र— श्री इन्द्रजीत खरे	सलाहकार
10	श्री अनिरुद्ध जी	पुत्र— श्री राधाकृष्ण लाल	सदस्य
11	श्री पवन कुमार श्रीवास्तव	पुत्र— श्री राधेमोहन श्रीवास्तव	सदस्य
12	डॉ० मंजुला श्रीवास्तव (प्राचार्या)	पत्नी— श्री भगवान सहाय श्रीवास्तव	पदेन सदस्य
13	डॉ० अजय कुमार श्रीवास्तव (शिक्षक प्रतिनिधि)	पुत्र— स्व० बसंत कुमार श्रीवास्तव	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)
14	श्री अखिलेश टंडन (शिक्षक प्रतिनिधि)	पुत्र— श्री विमल कुमार टंडन	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)
15	श्री संतोष कुमार पाण्डेय (शिक्षणोत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि)	पुत्र— स्व० राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)

नोट:—उपरोक्त प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये गये अगिलेखों के आधार पर किया गया है। भविष्य में प्रस्तुत किये गये अगिलेखों/प्रपत्रों के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति का अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

भवदीय,  
  
(एस०के० शुक्ल)  
कुल सचिव।